53

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :— रूकमणि रियाड़ सिहाग (आई.ए.एस)

प्रकरण संख्या :— 17/2013

उनवान मुकदमा

1. श्री अयुंब खां पिता गनी मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी छोटीसरवन तहसील छोटीसरवन जिला बांसवाडा (राज.)

—वादी

बनाम

1. श्रीमती जूलेखां पत्नी स्व सत्तारखां जाति मुसलमान निवासी छोटीसरवन तहसील छोटीसरवन जिला बांसवाडा (राज.)
2. श्री रईसखां पिता स्व गनी मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी छोटीसरवन तहसील छोटीसरवन जिला बांसवाडा (राज.)
3. श्री गफ्फारखां पिता स्व.नी मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी छोटीसरवन तहसील छोटीसरवन जिला बांसवाडा (राज.)
4. भूमिधारी जरिए तहसीलदार तहसील बांसवाडा जिला बांसवाड़ा (राज.)

— प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राज. का. अधिनियम

निर्णय

दिनांक :— 4/5/2015

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी अय्युब खां ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया की वादी व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खाता सं. 124 नया 113 पुराना के खसरा नं. 605/1, 606 कुल खेत 2 कुल रकबा 7.17 बीघा कुल लगान 5[illegible] रू. वाके ग्राम छोटी सरवन पटवार हल्का छोटी सरवन तहसील छोटी सरवन व जिला बांसवाड़ा स्थित में जिसमें वादी का 1/4 भाग व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 का 1/4 भाग निहित हैं एवं संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त कर लगान अदा कर रहे हैं। अतः तदनुसार धारा 53 आर.टी.एक्ट. मे विभाजन की डिक्री सादर फरमाकर पृथक खाता कायम कर लगान का विभाजन हेतु प्रतिवादी सं. 4 तहसीलदार छोटीसरवन को आदेश फरमावें।

प्रकरण में प्रतिवादी सं. 1 व 2 की और से राजीनामा प्रस्तुत किया गया एवं प्रतिवादी सं. 3 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाहीं के आदेश दिये गये।

वादी व प्रतिवादीगण की और से राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया वादी एवं प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त कृषि भूमि सर्वे नंबर 605/1 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा एवं सर्वे नम्बर 606 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम छोटीसरवन पटवार हल्का छोटीसरवन तहसील छोटीसरवन जिला बांसवाडा में स्थित को जरिये राजीनामा विभाजन व हिस्सा बराबर विभाजन करना चाहते है। उक्त सर्वे नंबरों की भूमि में वादी का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी नंबर 1 का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी नंबर 2 का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी नंबर 3 का 1/4 हिस्सा का नाम नियमानुसार बंटवारा किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:48:57 IST
Reason: SelfAttested

(रूकमणि रियाड़ सिहाग)
उपखण्ड अधिकारी
छोटीसरवन

आदेश

अतः वादी का वाद एवं वादी एवं प्रतिवादीगणों के राजीनामें को स्वीकर किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण वादग्रस्त कृषि भूमि सर्वे नंबर 605/1 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा एवं सर्वे नम्बर 606 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम छोटीसरवन पटवार हल्का छोटीसरवन जिला बांसवाडा में स्थित को जरिये राजीनामा विभाजन व हिस्सा बराबर विभाजन करना चाहते है। उक्त सर्वे नंबरों की भूमि में वादी का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी नंबर 1 का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी नंबर 2/1 का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी नंबर 3 का 1/4 हिस्सा का नाम नियमानुसार बंटवारा किया जाकर तदनुसार प्रारंभिक डिक्री पारित कर विभाजन प्रस्ताव हेतु पत्रावली प्रतिवादी सं. 4 को भेजी जाती हैं। तदनुसार प्रारंभिक डिक्री जारी होकर प्रकरण में डिक्री की पालना हेतु तहरीर जारी की जावें।

आदेश आज दिनांक 4-5-2015 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(रूकमणि रियाड़ सिहाग)
उपखण्ड अधिकारी
छोटीसरवन

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:48:57 IST
Reason: SelfAttested

65

प्रारम्भिक डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : छोटीसरवन व इजलास : रूकमणि रियाड़ सिहाग, (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 17/2013

उनवान मुकदमा

1. श्री अयुंब खां पिता गनी मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी छोटीसरवन तहसील छोटीसरवन जिला बांसवाडा (राज.)

–वादी

बनाम

1. श्रीमती जूलेखां पत्नी स्व सत्तारखां जाति मुसलमान निवासी छोटीसरवन तहसील छोटीसरवन जिला बांसवाडा (राज.)
2. श्री रईसखां पिता स्व गनी मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी छोटीसरवन तहसील छोटीसरवन जिला बांसवाडा (राज.)
3. श्री गफ्फारखां पिता स्व-नी मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी छोटीसरवन तहसील छोटीसरवन जिला बांसवाडा (राज.)
4. भूमिधारी जरिए तहसीलदार तहसील बांसवाडा जिला बांसवाड़ा (राज.)

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राज. का. अधिनियम

निर्णय

दिनांक :– 4/5/2015

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे एंव हाजरी वकील वादी पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। वादी का वाद एवं वादी एवं प्रतिवादीगणों के राजीनामें को स्वीकर किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण वादग्रस्त कृषि भूमि सर्वे नंबर 605/1 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा एवं सर्वे नम्बर 606 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम छोटीसरवन पटवार हल्का छोटीसरवन जिला बांसवाडा में स्थित को जरिये राजीनामा विभाजन व हिस्सा बराबर विभाजन करना चाहते है। उक्त सर्वे नंबरों की भूमि में वादी का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी नंबर 1 का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी नंबर 2/1 का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी नंबर 3 का 1/4 हिस्सा का नाम नियमानुसार बंटवारा किया जाकर तदनुसार प्रारंभिक डिक्री पारित कर विभाजन प्रस्ताव हेतु पत्रावली प्रतिवादी सं. 4 तहसीलदार छोटीसरवन को आदेश दिया जाता है कि वह आदेश के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय मे पेश करे।

नोज **शून्य** मुबलिग **शून्य** बाबत् **शून्य** खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह **शून्य** प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक **शून्य** का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एंव मोहर अदालत के आज दिनांक 4–5–2015 को जारी की गई।

रूकमणि रियाड़ सिहाग
उपखण्ड अधिकारी छोटीसरवन

मुदई	रूपया पैसा	मुद्दवायलह	रूपया पैसा
स्टाप की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	मेहनतनामा वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	खर्चा [illegible]	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	बबत [illegible]	[illegible]
बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	मुतफरीक	शून्य
मुतफरीक	शून्य		शून्य
कुल	शून्य	कुल	शून्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:48:57 IST
Reason: SelfAttested

रूकमणि रियाड़ सिहाग
उपखण्ड अधिकारी छोटीसरवन